रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14062021-227597
CG-DL-E-14062021-227597

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 239] नई दिल्ली, सोमवार, जून 14, 2021/ज्येष्ठ 24, 1943
No. 239] NEW DELHI, MONDAY, JUNE 14, 2021/JYAISHTHA 24, 1943

IndiaCode

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 जून, 2021

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण) (संशोधन) विनियम, 2021

सं.पीएफआरडीए/12 /आरजीएल/139/8.—पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 (2013 का 23) की धारा 52 की उपधारा (2) के खंड (छ), (ज) तथा (झ) के साथ पठित उसकी उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण एतद्द्वारा पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण) विनियम, 2015 में संशोधन करते हुए निम्न विनियम बनाता है, नामत, -

1. इन विनियमों का नाम पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण) (संशोधन) विनियम, 2021 है ।
2. यह विनियम शासकीय राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे ।
3. पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण) विनियम, 2015 में:-

(I) विनियम 2 के उप-विनियम (ट) (ii) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जायेगा :-

अभिदाता जो साठ साल की आयु को प्राप्त कर चुका है और सदस्यता को जारी रखने की विशेष अनुमति के बाद लिखित में सदस्यता जारी रखने का कोई विकल्प प्रयोग नहीं किया है, ऐसी अतिरिक्त अवधि तक योगदान देने के साथ या बिना उसके, या उस अभिदाता के सम्बंध में जो 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने के पश्चात् राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में शामिल होता है (लेकिन सत्तर वर्ष की आयु पूर्ण होने से पहले) उस योजना की सदस्यता को जारी रखने की अनुमोदित अधिकतम आयु या इससे पहले की तारीख को अभिदाता से प्राप्त खाता बंद करने के विशिष्ट अनुरोध पर आधारित :

(II) विनियम 2 के उप-विनियम (ट) (iii) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जायेगा :-

ऐसा अभिदाता, जिसकी सेवानिवृत्ति की उम्र या साठ वर्ष की आयु से पहले ही मृत्यु हो जाती है या अभिदाता द्वारा एक निश्चित अनुमत समय अवधि तक सदस्यता जारी रखने का विकल्प लिया जाता है और इस अवधि से पहले ही उसकी मृत्यु हो जाती है या उस अभिदाता की मृत्यु, जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली को साठ वर्षों की उम्र पूर्ण होने के पश्चात् (लेकिन सत्तर वर्ष की आयु पूर्ण होने से पहले) में शामिल होता है, उस योजना की सदस्यता जारी रखने की अनुमोदित अधिकतम आयु से किसी भी समय पहले;

(III) अध्याय 2 में शीर्षक राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से निकास शीर्षक के तहत शुरूआती अनुच्छेद को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा –

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से निकास के प्रयोजनों के लिए अभिदाताओं को (1) सरकारी सेक्टर, (2) सर्वनागरिक सहित कोर्पोरेट सेक्टर और (3) राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली- लाइट और स्वावलम्बन् अभिदाताओं के रूप में प्रवर्गीकृत और परिभाषित किया गया है। तदनुसार इसके अधीन विनिर्दिष्ट निकास सम्बंधी विनियम उस प्रवर्ग पर लागू होंगे जिससे वह अभिदाता सम्बंधित हैं।

(IV) विनियम 3 के उप- विनियम (क) (i) के दूसरे अनुच्छेद को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा–

निम्न डिफ़ॉल्ट वार्षिकी संविदा होगी जो कि लागू होगी और जिसके अंतर्गत वार्षिकी संविदा में अभिदाता को जीवन के लिए वार्षिकी और उसके पति या पत्नी (यदि कोई हो) के लिए वार्षिकी, वार्षिकी की क्रय कीमत की वापसी के उपबंध के साथ, और ऐसे अभिदाता और उसके पति/पत्नी की मृत्यु हो जाने पर, वार्षिकी, वार्षिकी संविदा के अधीन वापस किए जाने की अपेक्षित क्रय कीमत का उपयोग करके ऐसी वार्षिकी के क्रय किए जाने के समय विद्यमान प्रीमियम की दर पर, उसके अधीन विनिर्दिष्ट क्रम में (जब तक कुटुम्ब के सदस्य निम्नलिखित क्रम में पूरे नहीं हो जाते) कुटुम्ब के सदस्यों को पुन: जारी की जाएगी :

(क) मृतक अभिदाता की जीवित आश्रित माता ;

(ख) मृतक अभिदाता के जीवित आश्रित पिता।

ऊपर विनिर्दिष्ट ऐसे कुटुम्ब के सदस्यों के न रहने के पश्चात् ऐसी क्रय कीमत या राशि जो कि वार्षिकी क्रय करने हेतु उपयोजित की जानी थी, अभिदाता के जीवित बच्चों और बच्चों के न होने पर, अभिदाता के विधिक वारिस(सों) को, जैसा भी मामला हो, वापस कर दी जाएगी ;

किसी भी कारण से इस तरह की डिफ़ॉल्ट वार्षिकी की अनुपस्थिति या अनुपलब्धता में, अभिदाता को जो उस समय उपलब्ध वार्षिकी के प्रकारों में से जो कि प्राधिकरण द्वारा अनुबंधित वार्षिकी सेवा प्रदाताओं द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे, चुनना होगा;

इसके अलावा, उस अभिदाता को जो उपर्युक्त उपलब्ध वार्षिकी डिफ़ॉल्ट विकल्प से बाहर निकलना चाहते हैं और उपलब्ध वार्षिकी प्रकारों में से अपनी पसंद की वार्षिकी संविदा का चयन करना चाहते हैं, अथवा वार्षिकी सेवा प्रदाताओं के साथ संविदा करना चाहते हैं, उस विकल्प का चुनाव विशेष रूप से करना आपेक्षित होगा :

(V) विनियम 3 के उप- विनियम (क) (iii) के दूसरे अनुच्छेद को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा–

जहाँ अभिदाता वार्षिकी के क्रय को आस्थगित करने की वांछा करता या करती है, वहाँ उसके पास अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए ऐसा करने का विकल्प होगा परन्तु अभिदाता, केंद्रीय रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी या राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास या इस प्रयोजन के लिए प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत किसी

मध्यवर्ती या इकाई को अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने के कम से कम पंद्रह दिन पूर्व लिखित रूप में विनिर्दिष्ट प्रारूप में ऐसा करने के अपने आशय की सूचना देगा या देगी । वार्षिकी क्रय करने को ऐसे आस्थगित करने के विकल्प की एक पुरोभाव्य शर्त यह होगी कि यदि अभिदाता की मृत्यु आस्थगन के पश्चात् वार्षिकी क्रय की जाने की ऐसी नियत तारीख के पहले हो जाती है तो वार्षिकी अनिवार्य रूप से पति या पत्नी द्वारा (यदि कोई हो) वार्षिकी की क्रय कीमत की वापसी के उपबंध के साथ पति या पत्नी के लिए आजीवन वार्षिकी प्रदान करने के लिए क्रय की जाएगी और ऐसे पति या पत्नी की मृत्यु हो जाने पर संविदा के अधीन वापस किए जाने की अपेक्षित क्रय कीमत का उपयोग करके वार्षिकी के क्रय के समय पर विद्यमान प्रीमियम की दर पर इसके अधीन उपबंधित अधिमानता के क्रम में (जब तक कुटुम्ब के सदस्य निम्नलिखित क्रम में पूरे नहीं हो जाते) कुटुम्ब के सदस्यों को पुन: जारी की जाएगी :

(क) मृतक अभिदाता की जीवित आश्रित माता ;

(ख) मृतक अभिदाता के जीवित आश्रित पिता

ऊपर विनिर्दिष्ट ऐसे कुटुम्ब के सदस्यों के न रहने के पश्चात् ऐसी क्रय कीमत या राशि जो कि वार्षिकी क्रय करने हेतु उपयोजित की जानी थी, अभिदाता के जीवित बच्चों और बच्चों के न होने पर, अभिदाता के विधिक वारिस(सों) को, जैसा भी मामला हो, वापस कर दी जाएगी ;

(VI) विनियम 3 के उप- विनियम (क) (v) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा–

जहाँ अभिदाता के स्थायी सेवानिवृत्ति खाते में/का संचित धन पांच लाख रूपए की धनराशि के बराबर या उससे कम है, या प्राधिकरण द्वारा निर्धारित होगा, अभिदाता को वार्षिकी क्रय किए बगैर पूरा संचित धन प्रत्याहरण करने का विकल्प होगा और इस विकल्प का प्रयोग करने पर अभिदाता को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन या सरकार से ऐसी कोई पेंशन या अन्य रकम प्राप्त करने का अधिकार समाप्त हो जाएगा ;

(VII) विनियम 3 के उप- विनियम (क) (vi) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा–

जहाँ अभिदाता राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली को जारी रखना चाहते हैं और साठ साल की आयु या सेवानिवृत्ति की आयु के बाद भी अपनी सेवानिवृत्ति के खाते में योगदान करना चाहते हैं, तो लिखित रूप में या निर्धारित फार्म जो निर्दिष्ट है, और व्यक्तिगत खाते में निर्धारित आयु तक योगदान करना चाहता है, का विकल्प देना होगा लेकिन व्यक्तिगत पेंशन खाते में योगदान सत्तर वर्ष की उम्र से अधिक नहीं किया जा सकता । ऐसे विकल्प का उपयोग साठ वर्ष की उम्र या अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने से कम से कम पंद्रह दिन पहले किया जाएगा, जो कि केंद्रीय रिकॉर्डकीपिंग एजेंसी या राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास या प्राधिकरण द्वारा इसके लिए अधिकृत किसी अन्य मध्यवत् इकाई को बताएगा । ऐसे मामलों में, व्यक्तिगत पेंशन खाता /स्थायी सेवानिवृत्ति खाता सरकारी क्षेत्र से कोर्पोरेट क्षेत्र सहित सर्व नागरिक क्षेत्र में स्थानांतरित करने की आवश्यकता होगी और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत व्यक्तिगत पेंशन खाते/स्थायी सेवानिवृत्ति खाते के सम्बंध में खर्च, प्रबंधन शुल्क और देय शुल्क लागू रहेंगे ।

(VIII) विनियम 3 के उप-विनियम (ख) के प्रावधान 1 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा–

परन्तु वार्षिकी संविदा में अभिदाता और उसका पति या पत्नी (यदि कोई हो) के जीवन के लिए वार्षिकी, वार्षिकी की क्रय कीमत की वापसी के उपबंध के साथ, और ऐसे अभिदाता और उसके पति/पत्नी, की मृत्यु हो जाने पर, वार्षिकी, वार्षिकी संविदा के अधीन वापस किए जाने की अपेक्षित क्रय कीमत का उपयोग करके ऐसी वार्षिकी के क्रय किए जाने के समय विद्यमान प्रीमियम की दर पर, उसके अधीन विनिर्दिष्ट क्रम में (जब तक कुटुम्ब के सदस्य निम्नलिखित क्रम में पूरे नहीं हो जाते) कुटुम्ब के सदस्यों को पुनः जारी की जाएगी :-

(क) मृतक अभिदाता की जीवित आश्रित माता ;

(ख) मृतक अभिदाता के जीवित आश्रित पिता ;

ऊपर विनिर्दिष्ट कुटुम्ब के सदस्यों के न रहने के पश्चात् ऐसी क्रय कीमत, या राशि जो कि वार्षिकी क्रय करने हेतु उपयोजित की जानी थी, अभिदाता के जीवित बच्चों और बच्चों के न होने पर अभिदाता के विधिक वारिस(सों) को, जैसा भी मामला हो, वापस कर दी जाएगी ;

किसी भी कारण से इस तरह की डिफ़ॉल्ट वार्षिकी की अनुपस्थिति या अनुपलब्धता में, अभिदाता को जो उस समय उपलब्ध वार्षिकी के प्रकारों में से जो कि प्राधिकरण द्वारा अनुबंधित वार्षिकी सेवा प्रदाताओं द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे, चुनना होगा;

इसके अलावा, उस अभिदाता को जो उपर्युक्त उपलब्ध वार्षिकी डिफ़ॉल्ट विकल्प से बाहर निकलना चाहते हैं और उपलब्ध वार्षिकी प्रकारों में से अपनी पसंद की वार्षिकी संविदा का चयन करना चाहते हैं, अथवा वार्षिकी सेवा प्रदाताओं के साथ संविदा करना चाहते हैं, उस विकल्प का चुनाव विशेष रूप से करना आपेक्षित होगा :

(IX) विनियम 3 के उप-विनियम (ख) के प्रावधान 2 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा–

परन्तु यदि अभिदाता का संचित पेंशन धन दो लाख पचास हजार रुपए से अधिक है या इस उद्देश्य के लिए प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट की जाने वाली सीमा तक किंतु अभिदाता की आयु, सूचीबद्ध वार्षिकी सेवा प्रदाताओं में से किसी प्रदाता से, जिसका ऐसे अभिदाता द्वारा चुनाव किया गया है, कोई वार्षिकी क्रय करने के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु से कम है, तो ऐसा अभिदाता राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में तब तक अभिदाय करता रहेगा जब तक वह कोई वार्षिकी क्रय करने की पात्रता आयु प्राप्त नहीं कर लेता या लेती है :

(X) विनियम 3 के उप-विनियम (ख) के प्रावधान 3 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा–

परन्तु यह और कि यदि अभिदाता की संचित पेंशन सम्पत्ति दो लाख पचास हजार रुपए के बराबर या उससे कम है या प्राधिकरण द्वारा निर्धारित होगा, तो ऐसे अभिदाता को कोई वार्षिकी क्रय किए बगैर पूरे संचित पेंशन धन का प्रत्याहरण करने का विकल्प होगा और इस विकल्प का प्रयोग करने पर अभिदाता का राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन कोई पेंशन या अन्य रकम प्राप्त करने का अधिकार निर्वापित हो जाएगा और अभिदाता द्वारा ऐसे किसी विकल्प के प्रयोग को, विनियमों के अधिसूचित होने से पूर्व, इन विनियमों के अनुसार किया गया माना जाएगा ।

(XI) विनियम 3 के उप-विनियम (ग)(i) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा–

वार्षिकी संविदा में पति या पत्नी (यदि कोई हो) को जीवन के लिए वार्षिकी, वार्षिकी की क्रय कीमत की वापसी के उपबंध के साथ, वार्षिकी का उपबंध और ऐसे पति या पत्नी की मृत्यु हो जाने पर, वार्षिकी, वार्षिकी संविदा के अधीन वापस किए जाने की अपेक्षित क्रय कीमत का उपयोग करके ऐसी वार्षिकी के क्रय किये जाने के समय विद्यमान प्रीमियम की दर पर, उसके अधीन विनिर्दिष्ट क्रम में (जब तक कुटुम्ब के सदस्य निम्नलिखित क्रम में पूरे नहीं हो जाते) कुटुम्ब के सदस्यों को पुन: जारी की जाएगी :-

(क) मृतक अभिदाता की जीवित आश्रित माता ;

(ख) मृतक अभिदाता के जीवित आश्रित पिता ।

ऊपर विनिर्दिष्ट ऐसे कुटुम्ब के सदस्यों के न रहने के पश्चात् ऐसी क्रय कीमत या राशि जो कि वार्षिकी क्रय करने हेतु उपयोजित की जानी थी, अभिदाता के जीवित बच्चों और बच्चों के न होने पर, अभिदाता के विधिक वारिस(सों) को, जो भी मामला हो, वापस कर दी जाएगी । किसी भी कारण से इस तरह डिफाल्ट वार्षिकी की अनुपस्थिति या अनुपलब्धता में, मृत अभिदाता के कुटुम्ब के सदस्यों के पास उस समय उपलब्ध वार्षिकी के प्रकारों या अनुबंधों में से जो कि प्राधिकरण द्वारा अनुबंधित वार्षिकी सेवा प्रदाताओं द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे, का विकल्प चुनना होगा ।

(XII) विनियम 3 के उप-विनियम (ग)(ii) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा–

परन्तु यह और कि यदि अभिदाता की मृत्यु के समय उसके स्थायी सेवानिवृत्ति खाते में का संचित धन पांच लाख रूपये की धनराशि के बराबर या उससे कम है, या प्राधिकरण द्वारा निर्धारित होगा, वहाँ उसके नामिति अथवा विधिक वारिस(सों) जैसा भी मामला हो, को वार्षिकी क्रय किए बगैर पूरा संचित पेंशन धन प्रत्याहरण करने का विकल्प होगा इस विकल्प का प्रयोग करने पर परिवार के सदस्यों का राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन कोई पेंशन या अन्य रकम प्राप्त करने का अधिकार निर्वापित हो जाएगा ;

(XIII) विनियम 4 के उप-विनियम (क) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा–

जहाँ कोई अभिदाता साठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है, या ऐसे अभिदाता को लागू सेवा नियमों के अनुसार उसकी अधिवर्षिता हो जाती है, वहाँ ऐसा होने पर भी ऐसे अभिदाता के संचित पेंशन धन में से कम से कम चालीस प्रतिशत भाग का अनिवार्य रूप से, मासिक या किसी अन्य कालिक पेंशन का उपबंध करने के लिये वार्षिकी क्रय करने के लिए उपयोग किया जाएगा और ऐसे उपयोजन के पश्चात् संचित पेंशन धन के अतिशेष का एकमुश्त रूप से अभिदाता को भुगतान कर दिया जाएगा । यदि अभिदाता का संचित पेंशन धन पांच लाख रूपए की राशि के बराबर है या उससे कम है, तो अभिदाता के पास कोई वार्षिकी क्रय किए बगैर पूरा संचित पेंशन धन के प्रत्याहरण का विकल्प होगा :

(XIV) विनियम 4 के उप-विनियम (क)(i) के प्रावधान 2 के अनुच्छेद 2 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा–

इस तरह के विकल्प के प्रयोग या स्वचालित निरंतरता के बावजूद अभिदाता, किसी भी समय राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास या को प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत किसी भी मध्यवर्ती या इकाई को अनुरोध के द्वारा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से किसी भी समय बाहर निकल सकता है । ऐसे अभिदाता के पास एकमुश्त राशि के साथ-साथ वार्षिकी के आस्थगन का विकल्प उपलब्ध नहीं होगा । योजना के जारी रहने की अवधि में, अभिदाता की मृत्यु की स्थिति में, अभिदाता की संचित सम्पूर्ण पेंशन राशि ऐसे अभिदाता के नामिति(यों) या विधिक वारिस(सों), जैसा भी मामला हो, को भुगतान कर दी जाएगी । मृतक अभिदाता के नामिति(यों) या कुटुम्ब के सदस्य(यों) के पास निकास के समय, उन्हें पेश की जाने वाली वार्षिकियों में से किसी एक को क्रय करने, यदि उसकी ऐसी वांछा हो तो, का विकल्प होगा।

(XV) विनियम 4 के उप-विनियम (क)(iii) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा–

अभिदाता के पास, यथास्थिति, साठ वर्ष की आयु या अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने की तारीख से तीन वर्ष की अधिकतम अवधि के लिए वार्षिकी के क्रय को आस्थगित करने का विकल्प होगा, परंतु अभिदाता, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास या इस प्रयोजन के लिए प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत किसी मध्यवर्ती या इकाई को, यथास्थिति, साठ वर्ष की आयु या अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने के कम से कम पंद्रह दिन पूर्व लिखित रूप में विनिर्दिष्ट प्रारूप में ऐसा करने के अपने आशय की सूचना देगा या देगी । यह, ऐसे वार्षिकी क्रय के आस्थगन के विकल्प चयन से पूर्व की शर्त होगी, जिसमें यदि किसी मामले में, आस्थगन के पश्चात् वार्षिकी क्रय की नियत तिथि से पूर्व मृत्यु हो जाती है, तो अभिदाता की सम्पूर्ण संचित पेंशन संपत्ति ऐसे अभिदाता के नामिति(यों) या विधिक वारिस(सों) को भुगतान कर दी जाएगी ।

(XVI) विनियम 4 के उप-विनियम (ख) के प्रावधान 1 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा–

परन्तु यदि अभिदाता का संचित पेंशन धन दो लाख पचास हजार रूपये से अधिक है, किंतु सूचीबद्ध वार्षिकी सेवाप्रदाताओं में से किसी प्रदाता से, जिसका ऐसे अभिदाता द्वारा चुनाव किया गया है, कोई वार्षिकी क्रय करने के लिए अभिदाता की आयु अपेक्षित न्यूनतम आयु से कम है, तो ऐसा अभिदाता राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में तब तक अभिदाय करता रहेगा जब तक वह कोई वार्षिकी क्रय करने की पात्रता आयु प्राप्त नहीं कर लेता या लेती है :

(XVII) विनियम 4 के उप-विनियम (ख) के प्रावधान 2 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा–

परन्तु यह और कि यदि अभिदाता के व्यक्तिगत पेंशन खाते की संचित पेंशन सम्पत्ति दो लाख पचास हजार रुपए के बराबर या उससे कम है या प्राधिकरण द्वारा निर्धारित होगा, तो ऐसे अभिदाता को कोई वार्षिकी क्रय किए बगैर पूरे संचित पेंशन धन का प्रत्याहरण करने का विकल्प होगा ;

(XVIII) विनियम 4 के उप-विनियम (घ) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा –

अभिदाताओं द्वारा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से निकास, जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली को साठ साल की उम्र पूर्ण होने या उसके पश्चात् (लेकिन सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त करने से पूर्व) ऐसी पेंशन योजना में शामिल होने पर :

(XIX) विनियम 4 के उप-विनियम (घ)(i) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा –

उस अभिदाता के मामले में, सर्व नागरिकों या कॉपोरेट मॉडल के तहत राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में शामिल हुआ है, साठ साल की उम्र पूर्ण होने के पश्चात् (या सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले) और ऐसी पेंशन प्रणाली में सदस्यता लेने की तिथि से कम से कम तीन साल की अवधि पूर्ण करने के पश्चात्, और उसके बाद जब तक वह पिचहत्तर साल की आयु का न हो जाए, निकास पर, ऐसे अभिदाता के संचित पेंशन धन में से कम से कम चालीस प्रतिशत भाग का

अनिवार्य रूप से किसी मासिक या किसी अन्य कालिक पेंशन का उपबंध करने के लिए वार्षिकी क्रय करने के लिए उपयोग किया जाएगा और ऐसे उपयोजन के पश्चात् संचित पेंशन धन के अतिशेष का एकमुश्त रूप में अभिदाता को भुगतान कर दिया जाएगा । यदि अभिदाता का संचित पेंशन धन पांच लाख रूपए के बराबर या उससे कम है या प्राधिकरण द्वारा निर्धारित होगा, तो अभिदाता को कोई अभिदाता को कोई वार्षिकी क्रय किए बगैर पूरे संचित पेंशन धन के प्रत्याहरण का विकल्प होगा ।

(XX) विनियम 4 के उप-विनियम (घ)(ii) के प्रावधान 1 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा –

परन्तु यह और कि यदि अभिदाता के व्यक्तिगत पेंशन खाते की संचित पेंशन सम्पत्ति दो लाख पचास हजार रुपए के बराबर या उससे कम है या प्राधिकरण द्वारा निर्धारित होगा, तो ऐसे अभिदाता को कोई वार्षिकी क्रय किए बगैर पूरे संचित पेंशन धन का प्रत्याहरण करने का विकल्प होगा ।

(XXI) विनियम 6 के उप-विनियम (ग)(i) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा –

ऐसी विधारित धनराशि, जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन भुगतान योग्य है, अभिदाता को तब तक भुगतान नहीं किया जाएगा, जब तक, यथास्थिति, विभागीय या न्यायिक कार्यवाहियों का निष्कर्ष और ऐसी कार्यवाहियों के सम्बन्ध में अंतिम आदेश में पारित नहीं कर दिया जाता है;

(XXII) विनियम 6 के उप-विनियम (ग)(iii) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा –

विधारित रकम का, उस सम्बंधित नियोक्ता द्वारा, जिसने ऐसे फायदे को विधारित करने की मांग की थी, यथा प्रमाणित अंतिम परिनिर्धारण पर अभिदाता को निकास को निष्पादित करने के दौरान लागू विनियमन के अनुसार यथा सम्भव शीघ्र भुगतान कर दिया जाएगा और प्रत्येक दशा में ऐसा भुगतान राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास या प्राधिकरण द्वारा इस प्रयोजन के लिए प्राधिकृत किसी अन्य इकाई या व्यक्ति द्वारा अंतिम आदेश की प्राप्ति के नब्बे दिन के भीतर किया जाएगा ;

परन्तु यह कि, यदि किसी मामले में विधारित धनराशि अभिदाता की मृत्यु के बाद देय होती है तो अंतिम परिनिर्धारण पर लाभों का भुगतान नामिति(यों) या विधिक वारिस(सों) को, लागू विनियमों के अनुसार जैसा भी मामला हो, कर दिया जाएगा ।

(XXIII) विनियम 17 के उप-विनियम 2 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा–

पैनल में सम्मिलित होने सम्बंधी प्रमाणपत्र प्राप्त होनी की तारीख से तीस कार्य दिवस के भीतर, वार्षिकी सेवा प्रदाता राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अभिदाताओं द्वारा वार्षिकी क्रय करने के लिए प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट की जाने वाली प्रणाली और प्रक्रिया के संचालन के लिए कार्रवाई को शुरू करेगा ।

सुप्रतिम बंदोपाध्याय, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./102/2021-22]

पादलेख:

1. मूल विनियम, पेंशन निधि विनियामक तथा विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण) विनियम, 2015, भारत के राजपत्र में 11 मई 2015 को, अधिसूचना सं.पीएफआरडीए/12 /आरजीएल/139/8 के माध्यम से प्रकाशित किये गए थे ।
2. पेंशन निधि विनियामक तथा विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2017, भारत के राजपत्र में 10 अगस्त 2017 को, अधिसूचना सं. पीएफआरडीए/12 / आरजीएल /139/8 के माध्यम से प्रकाशित किये गए थे ।
3. पेंशन निधि विनियामक तथा विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2017, भारत के राजपत्र में 6 अक्टूबर 2017 को, अधिसूचना सं. पीएफआरडीए/12 /आरजीएल/139/8 के माध्यम से प्रकाशित किये गए थे ।

India Code

4. पेंशन निधि विनियामक तथा विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2018, भारत के राजपत्र में 02 फरवरी 2018 को, अधिसूचना सं. पीएफआरडीए/12 /आरजीएल/139/8 के माध्यम से प्रकाशित किये गए थे।

5. पेंशन निधि विनियामक तथा विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण) (चौथा संशोधन) विनियम, 2018, भारत के राजपत्र में 18 मई 2018 को, अधिसूचना सं. पीएफआरडीए/12 /आरजीएल/139/8 के माध्यम से प्रकाशित किये गए थे।

6. पेंशन निधि विनियामक तथा विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण) (पांचवा संशोधन) विनियम, 2018, भारत के राजपत्र में 19 फरवरी 2019 को, अधिसूचना सं. पीएफआरडीए/12 /आरजीएल/139/8 के माध्यम से प्रकाशित किये गए थे।

7. पेंशन निधि विनियामक तथा विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण) (छठा संशोधन) विनियम, 2018, भारत के राजपत्र में 20 सितम्बर 2019 को, अधिसूचना सं. पीएफआरडीए/12 /आरजीएल/139/8 के माध्यम से प्रकाशित किये गए थे।

8. पेंशन निधि विनियामक तथा विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण) (सातवां संशोधन) विनियम, 2018, भारत के राजपत्र में 29 सितम्बर 2020 को, अधिसूचना सं. पीएफआरडीए/12 /आरजीएल/139/8 के माध्यम से प्रकाशित किये गए थे।

IndiaCode

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th June, 2021

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY (EXITS AND WITHDRAWALS UNDER THE NATIONAL PENSION SYSTEM) (AMENDMENT) REGULATIONS, 2021

No. PFRDA/12/RGL/139/8.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 52 read with sub-clause(g), (h), and (i) of sub-section 2 of Section 52 of the Pension Fund Regulatory and Development Authority Act, 2013 (Act No.23 of 2013), the Pension Fund Regulatory and Development Authority hereby makes the following regulations to amend the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Exits and Withdrawals under the National Pension System) Regulations, 2015 namely, -

1. These regulations may be called the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Exits and Withdrawals under the National Pension System) (Amendment) Regulations, 2021.

2. These shall come into force on the date of their publication in the official gazette.

3. In the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Exits and Withdrawals under the National Pension System) Regulations, 2015: -

(I). Sub-regulation (k)(ii) of Regulation 2 shall be substituted as below: -

a subscriber having attained the age of sixty years, and where so specifically permitted has not exercised a choice in writing to continue to remain subscribed to such system, till such further period as is permissible, with or without making contributions or in respect of a subscriber who has joined National Pension System after attaining the age of sixty years (but before attaining seventy years of age) upon attaining the maximum age permitted to be subscribed to such scheme or any date prior thereto, based on the specific request for closure received from subscriber;

(II). Sub-regulation (k)(iii) of Regulation 2 shall be substituted as below: -

death of the subscriber before attaining the age of superannuation, or the age of sixty years, or in cases where an option has been exercised by subscriber to continue to remain subscribed to a certain

permissible time period, death before expiry of such period or death of a subscriber who has joined National Pension System after attaining the age of sixty years (but before attaining seventy years of age) at any time prior to attaining the maximum age permitted to be subscribed to such scheme;

(III). The introductory para under the heading Exit from National Pension System of Chapter II shall be substituted as below: -

For the purpose of exit from the National Pension System, the subscribers are categorized and defined as, (1) Government sector, (2) All citizens including corporate sector and (3) NPS- Lite and Swavalamban subscribers. The exit regulations specified hereunder shall apply accordingly to the category to which the subscriber belongs to.

(IV). Sub-regulation (a) (i) of Regulation 3 shall be substituted as below: -

the following shall be the default annuity contract that will be applicable and wherein the annuity contract shall provide for annuity for life of the subscriber and his or her spouse (if any) with provision for return of purchase price of the annuity and on the demise of such subscriber and his or her spouse, the annuity be re-issued to the family members in the order specified hereunder, at the rate of premium prevalent at the time of purchase of such annuity by utilizing the purchase price required to be returned under the annuity contract (until the family members in the order specified below are covered) :

(a) living dependent mother of the deceased subscriber;

(b) living dependent father of the deceased subscriber.

After the coverage of the family members specified above, the purchase price or the amount which was to be utilised for purchase of annuity shall be returned to the surviving children of the subscriber and in absence of children to the legal heir(s) of the subscriber, as the case may be;

In the absence of or non-availability of such a default annuity for any reason, the subscriber shall be required to exercise the option for purchase of such annuity of his choice, within the then annuity types or contracts made available by the annuity service providers empanelled by the Authority;

Further, a subscriber who wishes to opt out of the default option mentioned above and wishes to choose the annuity contract of his choice from the available annuity types or contracts with the annuity service providers, shall be required to specifically opt for such an option:

(V). Sub-regulation (a) (iii) of Regulation 3 shall be substituted as below: -

where the subscriber desires to defer the purchase of annuity, he or she shall have the option to do so for a maximum period of three years from the date of attainment of age of superannuation, provided the subscriber intimates his or her intention to do so in writing in the specified form or in any other manner approved by the Authority, at least fifteen days prior to the attainment of age of superannuation, to the Central recordkeeping agency or National Pension System Trust or an intermediary or entity authorized by the Authority for this purpose. It shall be a condition precedent to opt for such deferment of annuity purchase, that in case if the death of the subscriber occurs before such due date of purchase of an annuity after the deferment, the annuity shall mandatorily be purchased by the spouse(if any) providing for annuity for life of the spouse with provision for return of purchase price of the annuity and upon the demise of such spouse, be re-issued to the family members in the order of preference provided hereunder, at the rate of premium prevalent at the time of purchase of the annuity, utilizing the purchase price required to be returned under the contract (until the family members in the order specified below are covered):-

(a) living dependent mother of the deceased subscriber;

(b) living dependent father of the deceased subscriber.

After the coverage of the family members specified above, the purchase price or the amount which was to be utilised for purchase of annuity shall be returned to the surviving children of the subscriber and in absence of children to the legal heir(s) of the subscriber as the case may be;

(VI) Sub-regulation (a)(v) of Regulation 3 shall be substituted as below: -

where the accumulated pension wealth in the Permanent Retirement Account of the subscriber is equal to or less than a sum of five lakh rupees, or a limit as specified by the Authority, the subscriber shall have the option to withdraw the entire accumulated pension wealth without purchasing annuity and upon such exercise of this option, the right of such subscriber to receive any pension or other amount under the National Pension System or from the government or employer, shall extinguish;

(VII). Sub-regulation (a) (vi) of Regulation 3 shall be substituted as below: -

where the subscriber desires to continue in the National Pension System and contribute to his retirement account beyond the age of sixty years or the age of superannuation, he or she shall have the option to do so by giving in writing or in such form as may be specified, and up to which he would like to contribute to his individual pension account but not exceeding seventy years of age. Such option shall be exercised at least fifteen days prior to the age of attaining sixty years or age of superannuation, as the case may be to the central recordkeeping agency or the National Pension System Trust or any other intermediary or entity authorized by the Authority for the purpose. In such cases, individual pension account/ Permanent Retirement Account shall require to be shifted from Government sector to All citizens including corporate sector and the expenses, maintenance charges and fee payable under the National Pension System in respect of the said individual pension account/ Permanent Retirement Account, shall continue to remain applicable:

(VIII). Proviso 1 of sub-regulation (b) of Regulation 3 shall be substituted as below: -

Provided that such annuity contract shall provide for annuity for life of the subscriber and his or her spouse (if any) with provision for return of purchase price of the annuity and on the demise of such subscriber and his or her spouse, the annuity be re-issued to the family members in the order specified hereunder at the rate of premium prevalent at the time of purchase of the annuity, utilizing the purchase price required to be returned under the annuity contract (until the family members in the order specified below are covered) :-

(i) living dependent mother of the deceased subscriber;

(ii) living dependent father of the deceased subscriber.

After the coverage of the family members specified above, the purchase price or the amount which was to be utilised for purchase of annuity shall be returned to the surviving children of the subscriber and in the case of absence of children, to the other legal heir(s) of the subscriber, as the case may be;

In the absence of or non-availability of such a default annuity for any reason, the subscriber shall be required to exercise the option for purchase of such annuity of his choice, within the then annuity types or contracts made available by the annuity service providers empanelled by the Authority;

Further, a subscriber who wishes to opt out of the option mentioned above and wishes to choose the annuity contract of his choice, from the available annuity types or contracts with the annuity service providers, shall be required to specifically opt for such an option:

(IX). Proviso 2 of sub-regulation (b) of Regulation 3 shall be substituted as below: -

Provided that if the accumulated pension wealth of the subscriber is more than two lakh fifty thousand rupees or a limit to be specified by the Authority for the purpose but the age of the subscriber is less

than the minimum age required for purchasing any annuity from any of the empanelled annuity service providers as chosen by such subscriber, such subscriber shall continue to be subscribed to the National Pension System, until he or she attains the age of eligibility for purchase of any annuity:

(X). Proviso 3 of sub-regulation (b) of Regulation 3 shall be substituted as below: -

Provided further that if the accumulated pension wealth of the subscriber is equal to or less than two lakh fifty thousand rupees or a limit to be specified by the Authority, such subscriber shall have the option to withdraw the entire accumulated pension wealth without purchasing any annuity and upon such exercise of this option the right of the subscriber to receive any pension or other amounts under the National Pension System shall extinguish and any such exercise of this option by the subscriber, before the notification of this provision, shall be deemed to have been made in accordance with this regulation;

(XI). Sub-regulation (c)(i) of Regulation 3 shall be substituted as below: -

such annuity contract shall provide for annuity for life of the spouse of the subscriber (if any) with provision for return of purchase price of the annuity and upon the demise of such spouse be re-issued to the family members in the order specified hereunder at the rate of premium prevalent at the time of purchase of the annuity, utilizing the purchase price required to be returned under the contract (until the family members in the order specified below are covered):-

(a) living dependent mother of the deceased subscriber;

(b) living dependent father of the deceased subscriber.

After the coverage of the family members specified above, the purchase price or the amount which was to be utilised for purchase of annuity shall be returned to the surviving children of the subscriber and in absence of children, the legal heir(s) of the subscriber as the case may be. In the absence of or non-availability of such a default annuity for any reason, the family member of the deceased subscriber shall be required to exercise the option for purchase of such annuity of his choice, within the then annuity types or contracts made available by the annuity service providers empanelled by the Authority;

(XII). Sub-regulation (c)(ii) of Regulation 3 shall be substituted as below: -

Provided further that if the accumulated pension wealth in the permanent retirement account of the subscriber at the time of his death is equal to or less than Five lakh rupees or a limit to be specified by the Authority, the nominee or legal heir(s) as the case may be, shall have the option to withdraw the entire accumulated pension wealth without requiring to purchase any annuity and upon such exercise of this option the right of the family members to receive any pension or other amounts under the National Pension System shall extinguish.

(XIII). Sub-regulation (a) of Regulation 4 shall be substituted as below: -

where a subscriber attains the age of sixty years or superannuates in accordance with the service rules applicable to such subscriber, at least forty percent out of the accumulated pension wealth of such subscriber shall be mandatorily utilized for purchase of annuity providing for a monthly or any other periodical pension and the balance of the accumulated pension wealth, after such utilization, shall be paid to the subscriber in lump sum. In case, the accumulated pension wealth of the subscriber is equal to or less than a sum of five lakh rupees, the subscriber shall have the option to withdraw the entire accumulated pension wealth without purchasing any annuity:

(XIV). Para 2 of proviso 2 of sub-regulation (a)(i) of Regulation 4 shall be substituted as below: -

Notwithstanding exercise of such option or automatic continuation, the subscriber may exit at any point of time from the National Pension System, by submitting a request to National Pension System Trust or any intermediary or entity authorized by the Authority for the purpose. The options of deferment of lump sum as well as annuity shall not be available to such a subscriber. In case of death

of subscriber during the period of continuation, the entire accumulated pension wealth of the subscriber shall be paid to the nominee(s) or legal heir(s), as the case may be, of such subscriber. The nominee(s) or family member(s) of the deceased subscriber shall have the option to purchase any of the annuities being offered upon exit, if they so desire;

(XV). Sub-regulation (a)(iii) of Regulation 4 shall be substituted as below-

the subscriber shall have the option to defer the purchase of annuity for a maximum period of three years, from the date of attainment of sixty years of age or the age of superannuation, as the case may be, provided the subscriber intimates his or her intention to do so in writing in the specified form at least fifteen days before the attainment of age of sixty years or the age of superannuation, as the case may be, to the National Pension System Trust or any intermediary or other entity authorized by the Authority for this purpose. It shall be a condition precedent to opt for such deferment of annuity purchase, that in case if the death of the subscriber occurs before such due date of purchase of an annuity after the deferment, then the entire accumulated pension wealth of the subscriber shall be paid to the nominee(s) or legal heir(s), as the case may be, of such subscriber;

(XVI). Proviso 1 of sub-regulation (b) of Regulation 4 shall be substituted as below

Provided that if the accumulated pension wealth of the subscriber is more than two lakh fifty thousand rupees but the age of the subscriber is less than the minimum age required for purchasing any annuity from any of the empanelled annuity service providers as chosen by such subscriber, such subscriber shall continue to subscribe to the National Pension System, until he or she attains the age of eligibility for purchase of any annuity:

(XVII). Proviso 2 of sub-regulation (b) of Regulation 4 shall be substituted as below

Provided further that if the accumulated pension wealth in the individual pension account of the subscriber is equal to or less than two lakh fifty thousand rupees, or a limit to be specified by the Authority, such subscriber shall have the option to withdraw the entire accumulated pension wealth without requiring to purchase any annuity;

(XVIII). Sub-regulation (d) of Regulation 4 shall be substituted as below-

Exit from National Pension System by subscribers, joining such pension system on or after attaining the age of sixty years (but before attaining seventy years of age):

(XIX). Sub-regulation (d)(i) of Regulation 4 shall be substituted as below

In case of a subscriber, joining National Pension System under all citizens model or in corporate model, on or after attaining the age of sixty years, (but before attaining seventy years of age) and after having subscribed to such pension system for at least a period of three years from the date of such joining and thereafter till he attains the age of seventy five years, on exit, at least forty percent out of the accumulated pension wealth of such subscriber shall be mandatorily utilized for purchase of annuity providing for a monthly or any other periodical pension and the balance of the accumulated pension wealth, after such utilization, shall be paid to the subscriber in lump sum. In case, the accumulated pension wealth of the subscriber is equal to or less than a sum of five lakh rupees or a limit to be specified by the Authority, the subscriber shall have the option to withdraw the entire accumulated pension wealth without there being any requirement of purchasing an annuity;

(XX). Proviso 1 of sub-regulation (d)(ii) of Regulation 4 shall be substituted as below

Provided further that if the accumulated pension wealth in the individual pension account of the subscriber is equal to or less than a sum of Rupees two lakh fifty thousand, or a limit to be specified

by the Authority, such subscriber shall have the option to withdraw the entire accumulated pension wealth without there being any requirement of purchase of an annuity;

(XXI). Sub-regulation (c)(i) of Regulation 6 shall be substituted as below-

the amount withheld which are payable under the National Pension System shall not be paid to such subscriber until the conclusion of the departmental or judicial proceedings, as the case may be and subject to the final orders, passed in such proceedings;

(XXII) Sub-regulation (c)(iii) of Regulation 6 shall be substituted as below-

the amount withheld becomes payable to the subscriber on the final settlement, as certified by the employer specified, which has sought withholding of such benefits, and shall be paid to the subscriber as per applicable regulation while executing exit as soon as possible and in no case beyond ninety days of receipt of the final order by the National Pension System Trust or any other entity or person, authorized for the purpose by the Authority:

Provided that, in case the amount withheld becomes payable after the death of subscriber, on the final settlement, the benefits, shall be paid to the nominee(s) or legal heir(s), as the case may be of such subscriber as per the applicable regulations;

(XXIII). Sub-regulation (2) of Regulation 17 shall be substituted as below-

Within thirty working days of the date of receipt of certificate of empanelment, the annuity service provider shall initiate action to operationalise the system and process to be specified by the Authority for purchase of annuities by the subscribers of the National Pension System.

SUPRATIM BANDYOPADHYAY, Chairperson

[ADVT.-III/4/Exty./102/2021-22]

IndiaCode

Footnote:

1. The Principal Regulations, The Pension Fund Regulatory and Development Authority (Exits and Withdrawals Under the National Pension System) Regulations, 2015 were published in the Gazette of India on 11th May, 2015 vide notification No. PFRDA/12/ RGL/139/8.
2. The Pension Fund Regulatory and Development Authority (Exits and Withdrawals Under the National Pension System) (First Amendment) Regulations, 2017 were published in the Gazette of India on 10th August 2017 vide notification No. PFRDA/12/RGL/139/8
3. The Pension Fund Regulatory and Development Authority (Exits and Withdrawals Under the National Pension System) (Second Amendment) Regulations, 2017 were published in the Gazette of India on 06th October 2017 vide notification No. PFRDA/12/RGL/139/8
4. The Pension Fund Regulatory and Development Authority (Exits and Withdrawals Under the National Pension System) (Third Amendment) Regulations, 2018 were published in the Gazette of India on 02nd February 2018 vide notification No. PFRDA/12/RGL/139/8.
5. The Pension Fund Regulatory and Development Authority (Exits and Withdrawals Under the National Pension System) (Fourth Amendment) Regulations, 2018 were published in the Gazette of India on 18th May 2018 vide notification No. PFRDA/12/RGL/139/8.
6. The Pension Fund Regulatory and Development Authority (Exits and Withdrawals Under the National Pension System) (Fifth Amendment) Regulations, 2019 were published in the Gazette of India on 19th Feb 2019 vide notification No. PFRDA/12/RGL/139/8.
7. The Pension Fund Regulatory and Development Authority (Exits and Withdrawals under the National Pension System) (Sixth Amendment) Regulations, 2019. were published in the Gazette of India on 20th September 2019 vide notification No. PFRDA/12/RGL/139/8.
8. The Pension Fund Regulatory and Development Authority (Exits and Withdrawals Under the National Pension System) (Amendment) Regulations, 2020. were published in the Gazette of India on 29th September 2020 vide notification No. PFRDA/12/RGL/139/8.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2021.06.14 22:38:29 +05'30'